

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/56223
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक : 10 FEB 2017

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर से डाटा एन्ट्री के संबंध में।


संदर्भ:-विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 27.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि कार्य की मांग एवं आवंटन के पश्चात मस्टररोल भी नरेगा सॉफ्ट के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर से ही जारी की जायेगी। मस्टररोल पर सरपंच एवं ग्राम सेवक/कनिष्ठ लिपिक/ग्राम रोजगार सहायक के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य है। पखवाड़ा समाप्ति के पश्चात मस्टररोल अनुसार उपस्थिति की एन्ट्री नरेगा सॉफ्ट पर ग्राम पंचायत स्तर से की जायेगी। भुगतान संबंधी कार्यवाही पूर्वानुसार पंचायत समिति स्तर से ही की जायेगी।

उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करावें।

भवदीय,


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

